



2026: AHC: 40097-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 29970/2025

रहीस एवं अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: देवेंद्र मणि त्रिपाठी, राहुल तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: दिनेश कुमार यादव, जी.ए., विवेक सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार यादव के साथ श्री विवेक सिंह को सुना तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और बेहतर विवरणों के साथ नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. नियमों के अनुसार दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई नई याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता को प्रदान की जाएगी।

23 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।